पत्र संख्या : 7ब/4701 यो०ज०सं०–15/2015 58

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/ देवघर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांकः 8-7-15

विषय :– मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–75–सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकण, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 49 आर्थिक सहायता, विपत्र कोड 49P470180796750649 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2015–16 में बजट मुख्य शीर्ष **4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	कुल आवंटन (लाख रू. में)
1	2	3	4	5
1.	49–जल संसाधन विभाग/ 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80–सामान्य	796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना/75–सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकण	06–अनुदान, 49 आर्थिक सहायता विपत्र कोड – 49P470180796750649	**78.33**

आवंटित राशि – ₹ अठाहत्तर लाख तैतीस हजार मात्र।

---

2. आवंटित राशि वर्ष 2015–16 के बजट उपबंध कुल राशि **रू० 400.00 लाख (चार करोड़)** मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 एवं 1681 दि० 10.06.2015 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यो के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2016** तक निश्चित रूप से कर देंगे। राशि का प्रत्यार्पण, उप शीर्षवार किया जाय तथा जिस Access No से आवंटन प्राप्त हुआ था उसको भी अंकित करना आवश्यक है।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev Singh 7/7

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 58 राँची, दिनांक :– 8-7-15

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰– **हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/देवघर/दुमका** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

Sukhdev Singh 7/7

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 58 राँची, दिनांक :– 8-7-15

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) राँची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(श्वेता कुमारी)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	**(सुखदेव सिंह)**
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि॰)	**प्रधान सचिव**

विभागीय पत्रांक 58 दिनांक 8-7-15 का अनुलग्नक परिशिष्ट –1 1/1

माँग संख्या–49–जल संसाधन विभाग,
मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,
उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य,
लघु शीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना
उप शीर्ष–75–सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकण,
वस्तुत शीर्ष–06–अनुदान, 49 आर्थिक सहायता, विपत्र कोड 49P470180796750649

वित्तीय वर्ष 2015–16 में बजट उपबंध 400.00 लाख (चार करोड़) रूपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र॰	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति: प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति: राशि	मार्च 2015 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2015–16 में आवंटन: पूर्व का आबंटन	वर्त्तमान आबंटन	कुल आबंटन	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिंचाई प्रमंडल, दुमका (DMKIRR002)	देवघर	विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण, अनुशंधान, परामर्श, डी०पी०आर० प्रीप्रेशन, परामर्शी सेवाऐं एवं मूल्यांकण कार्य, राज्य के विभिन्न नदियों पर गेज डिस्चार्ज मापन कार्य, रेन गेज संधारण आदि के भुगतान हेतु	10/15–16 प्र०स्वी०, दिनांक–08.06.2015	1000.00	0.00	0.00	1.00	1.00	**46856**	दिग्गल पहाडी योजना के डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य
						योग	**0.00**	**1.00**	**1.00**		
2	समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्र॰–2, देवघर (DGRCMMF88)	रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची	विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण, अनुशंधान, परामर्श, डी०पी०आर० प्रीप्रेशन, परामर्शी सेवाऐं एवं मूल्यांकण कार्य, राज्य के विभिन्न नदियों पर गेज डिस्चार्ज मापन कार्य, रेन गेज संधारण आदि के भुगतान हेतु	10/15–16 प्र०स्वी०, दिनांक–08.06.2015	1000.00	0.00	0.00	28.69	28.69	**46858**	नदियों को गेज पठन कार्य, गेज रीडर/खलासी के भुगतान एवं संबंधित कार्य
						योग	**0.00**	**28.69**	**28.69**		
3	समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्र॰–2, राँची (DRNMAJ090)	रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची	विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण, अनुशंधान, परामर्श, डी०पी०आर० प्रीप्रेशन, परामर्शी सेवाऐं एवं मूल्यांकण कार्य, राज्य के विभिन्न नदियों पर गेज डिस्चार्ज मापन कार्य, रेन गेज संधारण आदि के भुगतान हेतु	10/15–16 प्र०स्वी० दिनांक–08.06.2015	1000.00	0.00	0.00	48.64	48.64	**46859**	नदियों को गेज पठन कार्य, गेज रीडर/खलासी के भुगतान एवं संबंधित कार्य; अनुसूचित दर पुस्तिका का प्रकाशन; द्वितीय सिंचाई आयोग के प्रतिवेदन का Digitization कार्य; संथाल परगाना प्रमंडल के अन्तर्गत बड़ी नदियों जल श्रोतों, कृषि भूमि, बड़ी सड़को/ रेल पथों सहित प्रमंडल मुख्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिए 103 अदद एस.ओ.आई. टोपों सीटों के माध्यम से नक्शा निर्माण
						योग	**0.00**	**48.64**	**48.64**		
						कुल योग	**0.00**	**78.33**	**78.33**		

आवंटित राशि – ₹ अठाहत्तर लाख तैतीस हजार मात्र।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

(सुखदेव सिंह) 7/7
प्रधान सचिव